ISSN: 0973-0583

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० विनय कुमार

सहायक प्राध्यापक, शिक्षा संकाय

एल. एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैंनेजमेंट, मुजफ्फरपुर

शोध सार

सृष्टि की सर्वोत्तम कृति के रूप में मंथन करने के पश्चात् जो निष्कर्ष के रूप में प्राप्त होता है वह है "मनुष्य" महानिर्विवाद सत्य है कि शिक्षा के बिना मनुष्य का यथेष्ठ विकास संभव नहीं है। शिक्षा मानव को मुक्ति का रास्ता दिखलाती है, शिक्षा मानव का बौद्धिक और भावात्मक रूप से इतना मजबूत और दृष्टिवान बनाती है कि वह स्वयं ही आगे बढ़ने का रास्ता, ज्ञान सृजन का मार्ग और ज्ञान के सहारे अपने विकास का रास्ता ढूँढ़ने के योग्य हो जाता है। किसी भी राष्ट्र या समाज की सर्वांगीण उन्नति में शिक्षा का सबसे अहम योगदान होता हैं। जिस प्रकार प्रकृति प्रदत्त जल और वायु पर सबका अधिकार है। उसी प्रकार शिक्षा भी सभी के लिए होनी चाहिए। शिक्षा पर सबका अधिकार हो, इसलिए इसे नि:शुल्क व अनिवार्य बनाया जाए। देश में शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने एवं शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 86वें संविधान संशोधन विधेयक के पश्चात् वर्ष-2009 में संसद में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक पारित किया गया और 01 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में शत-प्रतिशत लागू कर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद क्या सरकारी स्कूलों की दुर्दशा दूर हुई है? सतही तौर पर ऐसा दिखाई देने पर भी असलियत में ऐसा नहीं है। प्रस्तुत शोध आलेख में इन्हीं तथ्यों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

शब्द कोष- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सर्वोत्तम कृति, सृष्टि, नि:शुल्क अनिवार्य, क्रियान्वित मूल्यांकन, दृष्टिवान, संविधान, संशोधन, सर्वांगींण यथेष्ट, मनुष्य विकास।

Received : 15/5/2025 **Acceptance : 20/6/2025**

प्रस्तावना :

आज का बालक राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। वही राष्ट्र का भविष्य कर्णधार और निर्माता एवं देश की सुरक्षा का सजग प्रहरी है, राष्ट्र के इन भावी निर्माताओं के शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक चारित्रिक व आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध होने पर ही अपने राष्ट्र अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। देश के सामाजिक, आर्थिक विकास में शिक्षा अपनी अहम् भूमिका निभाती है। शिक्षा ही सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक क्रान्ति का आधार है। अत: बालकों की समुचित शिक्षा व्यवस्था करना राज्य एवं समाज का प्रमुख दायित्व है। सुस्थिर एवं प्रभावी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बालक में अनेक प्रकार की चारित्रिक विशेषताओं को विकसित किया जा सकता है, ताकि वे भावी जीवन में एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में तैयार किए जा सके और राष्ट्र निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभा सके। भारत में शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। वैदिककाल से वर्तमान तक शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता । प्राचीन भारत के अन्तर्गत वैदिक युग और बौद्ध युग को लिया जाता है।

वैदिक युग में शिक्षा पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण से मुक्त तथा तथा नि:शुल्क रूप में दी जाती थी। वैदिक शिक्षा और धर्म उत्पन्न हुई अनेक सामाजिक बुराइयों की प्रतिक्रिया स्वरूप 500 ई0 पूर्व में बौद्ध धर्म द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया जिसका संचालन बौद्ध संघों एवं मठों द्वारा विद्वानों के माध्यम से किया जाता था। इस काल में शिक्षा को राज्य

द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता था। आधुनिक शिक्षा का इतिहास भारत में ब्रिटिश शासनकाल से प्रारंभ होता है। शिक्षा के प्रारम्भिक प्रयास मिशनरियों द्वारा किए गए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के विकास का स्वर्णिमकाल प्रारम्भ हुआ।

बच्चे देश का भविष्य होते हैं, भावी कर्णधार होते हैं। यदि बच्चे ही अज्ञानता और अशिक्षा के गर्त में समा जाएंगे तो देश तथा समाज का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आज भी देश में लगभग पाँच करोड़ बच्चे ऐसे हैं, जो शिक्षा से वंचित है। इसके अलावे विश्व में सर्वाधिक निरक्षर भारत में रहते हैं। इन्हीं समस्याओं को दृष्टिगत रखकर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम-2002 के माध्यम से संविधान में एक नया उपबन्ध (Article 21A in Part-III) सम्मिलित किया गया। इसमें 6-14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए अनिवार्य एवं नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत अधिकारों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (Universalisation of Elementary Education) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गईं। शिक्षा प्रदान करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम, मिड-डे-मील योजना, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किए गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयास हैं, किन्तु इसके बावजूद देश में करोड़ों बालक गुणवत्तायुक्त शिक्षा से वंचित हैं। समाज के कमजोर वर्गों-अनुसूचित जातियाँ, घुमन्तु जातियों, बे घरबार लोगों के लाखों बालक पढ़ाई अधूरी छोड़कर अर्थार्जन में लग जाते हैं। ऐसे समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया जाना एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी प्रयास है। यह भारतीय संविधान की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का एक अनुपम उदाहरण है। इसकी प्रभावी क्रियानिवृति से भारत में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलित करने में मदद मिली व सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य को भी प्राप्त करने का प्रयास किया।

प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक समाज, देश और व्यक्ति का आधार है या यूँ कहें कि प्रारम्भिक शिक्षा बच्चों के लिए किसी भवन की नींव के समान है। यदि देश के इन नोनिहाल की नींव मजबूत रखी जाएगी तो उस पर खड़ा होनेवाला भवन भी निश्चित रूप से अधिक टिकाऊ एवं मजबूत होगा। इसीलिए देश के संविधान निर्माताओं को पता था कि भारत में फौजी निरक्षरता को तब तक दूर नहीं किया जा सकता, जब तक कि शिक्षा को अनिवार्य एवं नि:शुल्क नहीं किया जाता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-45 में कहा गया है कि "राज्य इस संविधान के प्रारम्भ में 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध का प्रयास करेगा।" भारत में शिक्षा का प्रावधान संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है जिससे केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। प्रस्तुत अधिनियम 01 अप्रैल 2010 से प्रभावी होने के पश्चात् यह कानून बन गया है जिसे क्रियान्वित करना राज्य का परम दायित्व है। इससे पूर्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद-45 के अन्तर्गत राज्य के निर्धारित नीति-निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत संविधान के अध्याय-4 में शामिल था। जिसे राज्य को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था किन्तु इसे अब अध्याय-3 के अनुच्छेद -21 में शामिल कर इसे मूलभूत अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया है। अब कोई भी 6-14 वर्ष की आयु का बालक शिक्षा को नि:शुल्क प्राप्त करने के लिए राज्य को वैधानिक रूप से बाध्य कर सकता है।

यह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में राज्य द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कदम है। इसमें 'समावेशी शिक्षा की ओर किए गए प्रयासों को बल मिलेगा। शिक्षा की परिधि में समाज के सभी वर्ग को लाने की मूल भावना को मूर्तरूप दिया जा सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त क्षेत्रीय व्यक्तिगत व वर्गवार विषमताओं को भी समाप्त किया जा सकेगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की विशेषताएँ:-

1. राज्य सरकारों व स्थानीय निकायों द्वारा ये प्रयास किए जाए कि बालकों के निवास से 01 कि0मी0 परिधि के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, ताकि 6-14 वर्ष के बालक बिना किसी असुविधा के विद्यालयों तक पहुँच सके। छ: से आठवीं कक्षा तक के विद्यालय छात्र के निवास स्थान से 3 कि0मी0 की परिधि में स्थापित किए जाएंगे।
2. प्रत्येक विद्यालय को कुछ न्यूनतम आधारभूत शैक्षणिक

संरचना उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें मुख्यत: विशिष्ट योग्यताधारी अध्यापक, खेलकूद के मैदान, पेयजल, शौचालय आदि शामिल हैं।

3. भारत में 6-14 वर्ष की आयु वर्ग में 22 करोड़ बालक हैं, जिसमें से 4-6 प्रतिशत बालक विद्यालयी शिक्षा के दायरे से बाहर हैं। इस प्रकार लगभग 92 लाख वंचित बालकों को शिक्षा की परिधि में लाया जायेगा।

4. 6-14 वर्ष आयु वर्ग के अशिक्षित और विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे बालकों को चिन्हित करने का कार्य स्थानीय विद्यालय की प्रबन्ध समिति अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा।

5. स्थानीय निकाय ही बालकों के चित्रांकण के लिए परिवार स्तर पर सर्वेक्षण आयोजित करेगा। इस प्रकार के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जायेंगे। इसे प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालकों का चित्रांकण करने में मदद मिलेगी।

6. निजी क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय में 25 प्रतिशत स्थान कमजोर वर्ग के विद्यालियों के लिए आरक्षित किया जा सकेंगे और उनसे वही शुल्क लिया जाएगा, जो सरकारी विद्यालय के समकक्ष छात्रों से लिया जाता है। इस आयु वर्ग के किसी भी बालक को आयु प्रमाण-पत्र के अभाव में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकेगा।

7. शिक्षा में परिमाणात्मक वृद्धि के साथ-साथ बालकों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगे:-

   क. योग्यताधारी शिक्षकों की भर्ती।

   ख. विद्यालय में उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं का विकास।

   ग. प्रभावी पाठ्य-सामग्री का विकास।

   घ. शिक्षकों को सामयिक प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था।

8. अधिनियम में छात्र शिक्षक अनुपात (30:1) निर्धारित किया गया है। इस अनुपात को प्राप्त करने के लिए 12 लाख अतिरिक्त प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी।

9. केन्द्रीय सरकार द्वारा ही शिक्षक प्रशिक्षण के मापदण्ड निर्धारित किए जाएंगे और उसी के द्वारा तकनीकी सहयोग व संसाधन राज्य सरकारों को उपलब्ध कराए जा सकेंगे, ताकि शैक्षणिक शोध नवाचार व क्षमताओं के विनिर्माण व विकास को प्रोत्साहन देकर उन्हें प्रोन्नत किया जा सके। विद्यालय पाठ्यक्रम के निर्माण व मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

10. पाठ्य-सामग्री की विषयवस्तु का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि बालक में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सके। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बालक के शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से बालक में ज्ञान की क्षमता का निर्माण व प्रतिभा के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।

11. सम्पूर्ण पाठ्यक्रम बालक केन्द्रित व मैत्रीपूर्ण होगा। शिक्षक द्वारा बालकों को किसी भी प्रकार की शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। अधिनियम के अन्तर्गत निजी ट्यूशन की प्रवृत्ति को निषेचित किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 की आलोचना:

इस अधिनियम की आलोचना इसलिए की गई है कि इसे जल्दबाजी में तैयार किया गया है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय कई समूहों से परामर्श नहीं किया गया है, शिक्षा की गुणवत्ता पर विचार नहीं किया गया है, निजी और धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों के अपने सिस्टम को संचालित करने के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, और छह साल से कम उम्र के बच्चों को इससे बाहर रखा गया है। कई विचारों को 2000 के दशकों के सर्वशिक्षा अभियान और 90 के दशक के विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) की नीतियों को जारी रखने के रूप में देखा जाता है। जिनमें से दोनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्कूल स्थापित किए हैं, लेकिन अप्रभावी होने के लिए आलोचना की गई है और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है।

सरकारी स्कूल प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। हालांकि यह देश में प्राथमिक शिक्षा का सबसे बड़ा प्रदाता बना हुआ है, जो सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों का 90 प्रतिशत बनता है, यह शिक्षकों की कमी और बुनियादी ढांचे के अभाव से ग्रस्त है। कई बस्तियों में स्कूलों की कमी है। सरकारी स्कूलों में अनुपस्थिति और कुप्रबंधन के और राजनीतिक सुविधा के आधार पर नियुक्तियों के अक्सर आरोप भी लगते हैं। सरकारी स्कूलों में मुफ्त भोजन के आकर्षण के बावजूद कई माता-पिता अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं।

यह हमारे बच्चों के साथ धोखा है। यह न तो मुफ्त शिक्षा देता है और न ही अनिवार्य शिक्षा। वास्तव में यह केवल वर्तमान बहुस्तरीय, घटिया गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा प्रणाली को वैध बनाता है जहाँ भेदभाव जारी रहेगा। एक आँकड़ों के मुताबिक 54 प्रतिशत शहरी बच्चे निजी स्कूलों में जाते हैं। यह दर हर साल 3 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। गरीब बच्चे भी सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं। वे इसलिए छोड़ रहे हैं कि शिक्षक ठीक से पढ़ाते नहीं और समय पर स्कूल आते नहीं है।

सोसाइटी फॉर अन-एडेड प्राइवेट स्कूल, राजस्थान (रिट याचिका सिविल संख्या 95/2010 में) और 31 अन्य ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया कि यह अधिनियम निजी प्रबन्धन के सरकारी हस्तक्षेप के बिना अपने संस्थानों को चलाने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। पार्टियों ने दावा किया कि सरकारी और निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में वंचित बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना असंवैधानिक है। गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 25 प्रतिशत वंचित छात्रों को प्रवेश देने के लिए मजबूर करने की भी इस आधार पर आलोचना की गई है कि सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के अपने संवैधानिक दायित्व को आंशिक रूप से निजी स्कूलों जैसे स्थानान्तरित कर दिया है। अनाथ बच्चों के लिए यह अधिनियम बाधा है। अधिनियम में बिना किसी प्रमाण पत्र के बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। हालांकि कई राज्यों ने पहले से चली आ रही प्रक्रियाओं को जारी किया है, जिसमें बच्चों से आय और जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र दिखाने पर जोर दिया गया है। अनाथ बच्चे इस तरह ऐसे दस्तावेज दिखाने में असमर्थ होते हैं। नतीतजन स्कूल उन्हें प्रवेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रवेश की शर्त के रूप में दस्तावेज की आवश्यकता होती है।

विश्लेषण :

ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी व बेरोजगारी से ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन से भी बालकों का भी अपने अभिभावकों के साथ पलायन करना होता है, फलतः पढ़ाई अधूरी छोड़कर घर बैठ जानेवाले बच्चों का अनुपात भी बढ़ेगा। अभिभावकों की न्यूनतम आय और कम क्रय शक्ति से बालकों को अल्प आयु में ही रोजगार की तलाश में गाँव से पलायन करने की सम्भावना भी निरन्तर बनी रहती है। अतः अधिनियम में बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में कुछ प्रावधान किए गए होते, तो इस वय के बालकों को और राहत मिलती। अधिनियम में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। योग्यताधारी शिक्षको की भर्ती व निरन्तर प्रशिक्षण दिए जाने पर भी जोर दिया गया है, किन्तु 12 लाख अतिरिक्त प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए भी अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी तभी हम कुशलतम प्रशिक्षित अध्यापकों की जमात तैयार कर पाएंगे। अधिनियम में प्रति कक्ष छात्र अध्यापक अनुपात 30:1 निर्धारित किया गया है किन्तु वर्तमान में यह 50:1 है। इसके कम होने की सम्भावना कतई प्रतीत नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों की पर्याप्त संख्या के अभाव में छात्र-अध्यापक अनुपात असंतुलित होने के सम्भावना सदैव बनी रहती है। इस हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही छात्रों में शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी, किन्तु आज भी ग्रामीण विद्यालय में शिक्षकों, कक्षा-कक्ष खेलकूद सामग्री, शारीरिक प्रशिक्षण बैठक व्यवस्था आदि की पर्याप्त सुविधाएँ न होना भी अधिनियम के मूल उद्देश्य गुणवतायुक्त प्राथमिक शिक्षा की क्रियान्वयन पर प्रश्नचिन्ह आरोपित कर देते हैं। अधिनियम में शिक्षा के द्रुत विकास के लिए सरकारी व निजी क्षेत्र की सहभागिता की बात की गई है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार में सभी का सहयोग अपेक्षित हैं। निजी विद्यालयों में सरकारी विद्यालयों की तुलना में ऊँचा शुल्क वसूल किया जाता है। वहाँ प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण कमजोर वर्ग के लिए

जाने का प्रावधान है। संशय पैदा कर देता है बचा ये 25 प्रतिशत स्थान झूठे आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर समृद्ध अभिभावकों की संताने इन संभ्रात विद्यालयों में प्रवेश ले सकने में सफल होंगे। फलतः शिक्षा के माध्यम से असमानाताएं फैलेगी। कमजोर वर्ग की सुस्पष्ट परिभाषा अधिनियम में नहीं दी गई है। कमजोर वर्ग का आकलन आय के आधार पर होगा या फिर जातिगत आधार पर इस पर भी विचार किया जाना अपेक्षित है। यदि कमजोर वर्ग के अभिभावकगण वित्तीय या अन्य स्रोतों से फीस की व्यवस्था कर भी लेते हैं, तो उनके पुनर्भरण की कोई भी व्यवस्था अधिनियम में नहीं की गई है।

निष्कर्षः

प्रस्तुत अधिनियम की इन विसंगतियों के बावजूद भी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में एक सार्थक प्रयास है। अधिनियम में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था, शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तकनीकी व अन्य सुविधाओं की उपलब्धता व जन- सहभागिता को प्रोत्साहन करके ही अधिनियम का क्रियान्वयन किया जाना सम्भव है।

देश के 30 करोड़ से अधिक बच्चों तक गुणात्मक शिक्षा पहुँचाने का लक्ष्य सुनिश्चित तौर पर बहुत दूर सा प्रतीत होता है। विशेष तौर पर विगत दशकों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त बदहाली को देखते हुए, लेकिन निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार के एक संवैधानिक और विधिक अधिकार बन जाने से विभिन्न राज्य सरकारों, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल की न हों, पर यह दबाव तो बना ही है कि वे प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु एक मजबूत तंत्र विकसित करें जो सरकार ऐसा नहीं कर सकेगी उसे अगले आम चुनावों में मतदाताओं के कोपभाजन का शिकार होना पड़ेगा।

निर्धनों एवं वंचितों के धैर्य की सीमा है। वे सूनी आँखों से विगत 7 दशकों से भारत की प्रगति और विकास के फल बड़ी चतुराई के साथ समाज के एक वर्ग द्वारा झपट लिए जाने को देख और सहन कर रहे हैं। सामाजिक न्याय मिलने में देर है अंधेर नहीं है की उक्ति लागू होती है। इतिहास साक्षी है कि जब कभी भी संसाधनों और सुविधाओं का वितरण समान नहीं हुआ है, तो वंचित द्वारा इसे बलात् छीना गया है, समाजशास्त्री इसे ही 'सामाजिक क्रान्ति' की संज्ञा देते रहे हैं। शिक्षा भी ऐसा ही क्षेत्र है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का मूल अधिकार अधिनियम-2009 को लागू हो जाना समावेशी विकास की दिशा में 'एक क्रांतिकारी' प्रयास है। आशावादियों के लिए यह आधे भरे गिलास की तरह है, किन्तु निराशावादी तथा आलोचना करनेवालों के लिए आधा खाली गिलास हो सकता है। स्थिति का विश्लेषण जैसे भी किया जाए इससे तो सभी सहमत हैं कि इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 ने उस समय के विद्यमान सत्तासीन तथा वर्तमान एवं आने वाली सरकारों को शिक्षा के लाभ समाज के निचले वर्ग तक पहुँचाने के लिए बाध्य तो कर ही दिया है।

संदर्भ-स्रोत :

1. प्रतियोगिता दर्पण-मासिक पत्रिक-जुलाई 2012 पृ0-224
2. आरती घर-01 अप्रैल 2010-शिक्षा अब एक मौलिक अधिकार है-प्रकाशित-द हिन्दू
3. शर्मा, आर0ए0-भारतीय शिक्षा प्रणाली-आर0लाल बुक डिपो-मेरठ पृ0-सं0-325
4. प्रतियोगिता दर्पण-मासिक पत्रिका-अगस्त 2011-पृ0 सं0-80
5. सिंधवी, रनिश-राजस्थानी ग्रन्थागार प्रकाशक एवं वितरक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का आधिकार अधिनियम-2009 एवं नियम-2010
6. "FTN" निजीकरण भारत की शिक्षा समस्याओं का समाधान नहीं है-आईबीएन लाइव 3 फरवरी 2010
7. सेल्वा, जी-"भारत में सार्वभौमिक शिक्षा : अधूरे सपनों की एक सदी" प्रगति 01 अप्रैल
8. प्रतियोगिता दर्पण-अगस्त-2011-पृ0 सं0-81